भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2834
24 मार्च, 2023 को उत्तर देने के लिए

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना

2834. श्री एस. कल्याणसुन्दरम:
श्री एम. मोहम्मद अब्दुल्ला:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और कौन सी योजनाएं घोषित की गई हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2018 से देश में खोली गई ऐसी कंपनियों की राज्य-वार और वर्ष-वार संख्या कितनी है; और

(ग) इसके लिए आवंटित, संवितरित और उपयोग की गई निधि कितनी है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क) और (ख): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना को बढ़ावा देने सहित देश भर में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की समग्र वृद्धि और विकास के लिए वर्ष 2016-17 से केंद्रीय क्षेत्र की अम्ब्रेला योजना- प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई), वर्ष 2021-22 से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) और वर्ष 2020-21 से प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना कार्यान्वित कर रहा है।

पीएमकेएसवाई की घटक योजनाओं के तहत, एमओएफपीआई उद्यमियों को खाद्य प्रसंस्करण/परिरक्षण उद्योगों की स्थापना के लिए अनुदान सहायता के रूप में ज्यादातर क्रेडिट लिंक्ड वित्तीय सहायता (पूंजीगत सब्सिडी) प्रदान करता है। मंत्रालय पीएमएफएमई योजना के तहत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना/उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करता है। पीएलआईएसएफपीआई का लक्ष्य खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में चैंपियन ब्रांड बनाकर खाद्य प्रसंस्करण क्षमता के विस्तार को सुगम बनाना है। पीएमकेएसवाई के तहत अनुमोदित और पूरी की गई परियोजनाओं की राज्य-वार संख्या, पीएमएफएमई योजना के तहत सूक्ष्म खाद्य उद्यमों और इंक्यूबेसन केंद्रों को स्वीकृत ऋणों की संख्या **अनुबंध- I** में दी गई है।

(ग): वर्ष 2018-19 से पीएमकेएसवाई, पीएमएफएमई और पीएलआईएसएफपीआई के तहत आवंटित निधि और उपयोग की गई धनराशि का विवरण **अनुबंध- II** में दिया गया है।

******

अनुबंध-I

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा दिया जाने के संबंध में दिनांक 24.03.2023 को राज्य सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 2834 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2017-18 से 2022-23 (दिनांक 28.02.2023 तक) तक पीएमकेएसवाई के तहत अनुमोदित/पूरी की गई परियोजनाओं की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या और वर्ष 2021-22 से 2022-23 तक (दिनांक 28.02.2023 तक) पीएमएफएमई के तहत सूक्ष्म खाद्य उद्यमों और इनक्यूबेशन केंद्रों को स्वीकृत ऋणों की संख्या।

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पीएमकेएसवाई		पीएमएफएमई	
		अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	पूर्ण परियोजनाओं की संख्या	सूक्ष्म खाद्य उद्यमों को स्वीकृत ऋणों की संख्या	अनुमोदित इंक्यूबेसन केन्द्रों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	71	18	1937	2
2	असम	53	12	583	1
3	बिहार	12	3	2345	2
4	छत्तीसगढ	6	1	210	2
5	गोवा	1	1	41	1
6	गुजरात	92	42	100	0
7	हरियाणा	60	30	384	0
8	हिमाचल प्रदेश	35	18	753	3
9	जम्मू और कश्मीर	32	21	212	3
10	झारखंड	0	0	146	0
11	कर्नाटक	62	26	1922	14
12	केरल	34	15	611	1
13	मध्य प्रदेश	45	15	1468	3
14	महाराष्ट्र	180	83	5864	3
15	ओडिशा	13	4	733	1
16	पंजाब	46	20	935	1
17	राजस्थान	46	21	273	8

18	तमिलनाडु	92	38	3552	4
19	तेलंगाना	30	11	1956	3
20	उत्तर प्रदेश	74	40	2182	14
21	उत्तराखंड	42	20	212	1
22	पश्चिम बंगाल	28	10	0	0
23	अरुणाचल प्रदेश	12	2	22	0
24	मणिपुर	5	2	245	0
25	मेघालय	5	3	30	1
26	मिजोरम	1	0	5	1
27	नागालैंड	9	1	24	1
28	त्रिपुरा	5	4	46	1
29	सिक्किम	2	0	31	2
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3	1	11	1
31	चंडीगढ़	0	0	5	0
32	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	1	1	2	0
33	दिल्ली	6	5	94	2
34	लक्षद्वीप	0	0	0	0
35	पांडिचेरी	2	0	47	0
36	लद्दाख	0	0	22	0

अनुबंध-II

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा दिया जाने के संबंध में दिनांक 24.03.2023 को राज्य सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 2834 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

<u>पीएमकेएसवाई, पीएमएफएमई और पीएलआईएसएफपीआई के तहत आवंटित और उपयोग की गई निधियों का विवरण</u>

(करोड़ रुपए में)

योजना	**2018-19**		**2019-20**		**2020-21**		**2021-22**		**2022-23**	
	आर.ई.	**ए.ई.**	**आर.ई.**	**ए.ई.**	**आर.ई.**	**ए.ई.**	**आर.ई.**	**ए.ई.**	**आर.ई.**	**ए.ई. (दिनांक 17.03.2023 तक)**
पीएमकेएसवाई	870.19	591.26	889.19	694.81	749.90	664.75	791	713.49	673.00	446.75
पीएमएफएमई	योजना वर्ष 2020-21 से कार्यान्वित				400.00	398.43	399	289.85	290	261.15
पीएलआईएसएफपीआई	योजना वर्ष 2021-22 से कार्यान्वित						10	7.38	801	124.19

आर.ई.—संशोधित अनुमान, ए.ई.- वास्तविक व्यय